अतिरिक्त जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में विभागीय समन्वय बैठक आयोजित

■ फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और जनशिकायतों के निस्तारण की हुई विभागवार समीक्षा

अजमेर,(कासं)। अतिरिक्त जिला कलैक्टर ज्योति ककवानी की अध्यक्षता में विभागीय समन्वय बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यों और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश द्वारा ग्राम पंचायतों में संचालित अन्नपूर्णा रसोई की समीक्षा की गई। इसमें व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए और संचालन को नियमित एवं व्यवस्थित बनाए रखने को कहा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अधिकारियों को 30 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने, योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को कुसुम योजना की प्रगति बढ़ाने के निर्देश देते हुए उन्होंने योजना के तीनों घटकों में कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। किसानों के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाकर सोलर पंप स्वीकृति जारी करने को निर्देशित किया।

उन्होंने महिला अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा में लाडो प्रोत्साहन योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों से समन्वय स्थापित करने और योजना की जानकारी उपलब्ध करने के निर्देश दिए। कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को तारबंदी, फार्म पॉन्ड और उद्यानिकी विभाग को स्प्रिंकलर के लिए प्राप्त आवेदनों को लक्ष्य अनुसार लाभान्वित कर प्रगति बढ़ाने तथा किसानों को योजनाओं की उपयोगिता और प्रक्रिया की सरल जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को हर घर जल योजना में प्राप्त आवेदनों के अनुसार सभी जल कनेक्शन समय पर जारी करने, अमृत योजना में स्वीकृत कार्यों में प्रगति बढ़ाने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अटल प्रगति पथ एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में पंच गौरव से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। ककवानी ने कहा कि विभागीय अधिकारी समन्वित प्रयासों से योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ पहुंचाएँ और जिले की रैंकिंग में सुधार सुनिश्चित करें। इस अवसर पर लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

शहीदी शताब्दी पर नगर कीर्तन 21 को

अजमेर,(कासं)। श्री गुरु तेग बहादुर साहब के 350 साल शहीदी शताब्दी पर्व पर 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे नगर कीर्तन निकाला जाएगा। त्रिलोचन सिंह छाबड़ा व तेजपाल सिंह साहनी ने बताया कि 21 नवंबर को नगर कीर्तन दोपहर तीन बजे निकाला जाएगा, यह नगर कीर्तन मेयो लिंक रोड से शुरू होकर राजा साइकल, श्रीनगर रोड, मार्टिंडल ब्रिज, अलवर गेट, प्रकाश रोड नगरा होते हुए रात्रि 8 बजे गुरुद्वारा धोलाभाटा पहुंचेगा।

एडवोकेट नासिर हुसैन प्रदेश सचिव नियुक्त

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार कानूनी मानवाधिकार आरटीआई विभाग चेयरमैन कुलदीप सिंह पुनिया द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में युवा एडवोकेट नासिर हुसैन को प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया है। प्रदेश सचिव नासिर हुसैन ने कहा की बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर संगठन को मजबूत करने के साथ विस्तार करने के लिये सार्थक प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने प्रांतीय उपरोक्त नेताओं के प्रति दायित्व देने हृदय से आभार व्यक्त किया।

कार्यालय ग्राम पंचायत सांदोलिया, पं.सं.अरांई, जिला अजमेर

क्रमांक- ग्रापमा/2025-26/85 **आम सूचना** दिनांक-14.11.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र हरचंद जाट नि. सांदोलिया द्वारा निम्नांकित आवासीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु रा.प.रा.नि. 173(क) अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है जो परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है निम्न है-

क्र. सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	ग्राम	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	98.513	सांदोलिया	स्वयं का चौक	सांवला पुत्र रामचंद्र जाट की खाली जगह	आम रास्ता	स्वयं का बाड़ा

उक्त वर्णित आवासीय भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु इस आम सूचना द्वारा जारी दिनांक से एक माह के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है बाद मियाद संपरिवर्तन हेतु अनुज्ञा जारी कर दी जायेगी। अतः सूचित रहे-

प्रशासक, ग्राम पंचायत सांदोलिया, पं.स. अरांई, अजमेर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सांदोलिया, पं.स. अरांई, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक-न.पा.वि./निमार्ण स्वी./2025/4680 **आम सूचना** दिनांक: 17-11-25

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण				
फाईल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
147	भागचन्द तेली पुत्र चांदमल तेली	राजस्व ग्राम चौसला बिजयनगर ख.सं. 4028 भू.सं. 03	139.35 SQ.MTR	आवासीय
148	रेखा चौरडिया पत्नि मानसिंह जैन	आबादी क्षेत्र बिजयनगर भू.सं. 64	228.90 SQ.MTR	आवासीय
149	जया रामचंदानी पत्नि सुरेश रामचंदानी 2. सुरेश रामचंदानी पुत्र नारायणदास रामचंदानी	जैन प्रकाश कॉलोनी बियजनगर 131 से 133 भू.सं. 34	139.35 SQ.MTR	आवासीय

-अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत काशिर पंचायत समिति अरांई, जिला अजमेर

क्रमांक: ग्रा.पं.काशिर/2025-26/71 दिनांक:17.11.25

-खुली निविदा सूचना- 03/2025-26

ग्राम पंचायत काशिर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम काशिर में स्थित ओपन जिम स्थापना कार्य हेतु Original Equipment Manufacturer/Authorised Delar/Sub-Delar पंजीकृत फर्मो से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

NIB No - ZAJ2526A1399
UBN No- ZAJ2526SSLB01496

प्रशासक, ग्राम पंचायत काशिर, पं.स. अंराई, अजमेर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत काशिर, पं.स. अंराई, अजमेर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अरांई जिला अजमेर

आपति आमंत्रण

प्रकरण संख्या /01/2025

न्यायालय तहसीलदार अरांई में प्रार्थीगण श्री दशरथ कुमार शर्मा व श्री रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी माण्डियावडखुर्द तहसील अरांई ने ग्राम माण्डियावडखुर्द स्थित मृतक श्री गणेश पुत्र लादू जाति ब्राह्मण निवासी माण्डियावडखुर्द के नाम दर्ज खातेदारी/सहखातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 12,24,25,21,100,103,107,22,39,108,116,207 में श्री गणेश पुत्र लादू के फौत हो जाने पर दिनांक 11/06/2012 को पंजीकृत वसीयत (इच्छा पत्र) के आधार पर नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार अरांई ने राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) अन्तर्गत विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि दिनांक 11/06/2012 को श्री गणेश पुत्र लादू जाति ब्राह्मण निवासी माण्डियावडखुर्द द्वारा ग्राम माण्डियावडखुर्द की कृषि भूमि खातेदारी/सहखातेदारी कृषि भूमि 12,24, 25,21,100, 103,107,22,39,108,116,207 को पंजीकृत वसीतनामा के द्वारा प्रार्थीगण श्री दशरथ कुमार शर्मा व श्री रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी माण्डियावडखुर्द तहसील अरांई के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोला जावे। आपत्ति आमंत्रण की जाती है कि उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण श्री दशरथ कुमार शर्मा व श्री रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी माण्डियावडखुर्द तहसील अरांई के पक्ष में करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति संगठन या कंपनी आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आपत्ति आमंत्रण के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर इस न्यायालय के समक्ष लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमानुसार नामान्तरण संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। -तहसीलदार, अरांई, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक-न.पा.वि./निमार्ण स्वी./2025/4610 **आम सूचना** दिनांक: 12-11-25

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण				
फाईल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
138	सुशीलादेवी छीपा पत्नि सूर्यप्रकाश	रियलिस्टिक राजदरबार सिटी बिजयनगर ब्लॉक नं. सी-4 भू.सं. सी-23	153.28 SQ.MTR	आवासीय
139	सुरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र सुमेरसिंह चौहान	रघुनाथ कॉलोनी बिजयनगर ख.सं. 380 से 384 से 391 भू.सं. 117 का पूर्वी हिस्सा प्रा.नं. 117-ए व 117 का पश्चिमी हिस्सा प्रा.नं. 117-बी	111.48 SQ.MTR	आवासीय
140	मोहनलाल पुत्र गोपीलाल	गोपाल बाड़ी राजस्व ग्राम चौसला 3977 भू.सं. 180 व स्वीकृत प्लान अनुसार 97 बी का पश्चिमी हिस्सा	86.58 SQ.MTR	आवासीय
141	मोहनलाल पुत्र गोपीलाल	गोपाल बाड़ी राजस्व ग्राम चौसला 3977 भू.सं. 187 व स्वीकृत प्लान अनुसार 97 बी का पश्चिमी हिस्सा	139.35 SQ.MTR	आवासीय

-अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद् कुचामन सिटी

Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in, munibkcity@gmail.com
फोन नं. 01586-220022, 01586-221526

क्रमांक :- न.प.कु. /2025-26/4918 दिनांक :- 17-10-2025

लोक सूचना

निम्न लिखित आवेदको द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1.	श्रीमती चुका देवी पत्नी धन्नाराम जाति कमावत	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	पनवाड़ी	606/156	0.1516 Hq.
2.	श्री दुर्गासिंह, मानसिंह पुत्रान भगवान सिंह जाति राजपूत	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	टोरड़ा	1401/1400	0.3237 Hq.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17-10-2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त नगरपरिषद् कुचामन सिटी

46 लाख से होगा अशोक नगर की सड़कों का निर्माण : भदेल

■ अजमेर दक्षिण क्षेत्र में विकास कार्य अनवरत जारी : भदेल

अजमेर शहर(कासं)। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने सोमवार को अशोक नगर, सुभाष नगर की सड़कों के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ये सड़कें 46 रूपए की लागत से बनाई जायेगी। इन सड़कों के निर्माण की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से की जा रही थीं।

विधायक भदेल ने क्षेत्रवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अशोक नगर की गली नम्बर 6, 8 और 13 की सड़कें पिछले लंबे समय से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई थीं। बरसात के दौरान जलभराव से स्थिति और अधिक खराब हो गई थी, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि सड़क का कुछ हिस्सा अभी तक कच्चा बना हुआ था, जिसके कारण छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा वाहनों को रोजमर्रा के आवागमन में परेशानियां हो रही थी।

क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए अब यहां सीसी सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा। विधायक भदेल ने अवगत करवाया कि इस निर्माण कार्य में 46 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे तथा जिससे करीब 750 मीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास हेतु सड़क, नालियां, पीने का पानी, लाईट तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर निरंतर करवाए जा रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण, मजबूत एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उन्होंने विधायक भदेल का स्वागत-सत्कार कर आभार व्यक्त किया और कहा कि इन सड़कों के निर्माण से हमारा आवागमन सुगम होगा।

एडीएम ने निरीक्षण किया

बारां। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर भंवरलाल जनागल ने सोमवार को किशनगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण किया, उन्होंने किशनगंज, हीरापुर, रामपुरिया जागीर और भंवरगढ़ सहित कई स्थानों पर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। एडीएम ने बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण व संग्रहण की वास्तविक स्थिति देखी और प्रपत्रों में हो रही त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और मेंपिंग के लिए चिन्हित सभी मतदाताओं के प्रपत्र सही ढंग से भरवाए जाएं।

कार्यकारिणी भंग

अजमेर। शहर एन.एस.यू.आई की जिलास्तरीय समस्त कार्यकारिणी को तुरन्त प्रभाव से भंग कर दी गई है। एन.एस.यू.आई में नई कार्यकारिणी का विस्तार किया जायेगा जिसमें कर्मठ, झुझारू व संगठन के प्रति समर्पित व नये युवाओं को संगठन में स्थान दिया जायेगा। अजमेर शहर में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व विद्यालयों मे छात्र-छात्राओं की आ रही। समस्याओं को लेकर एन.एस.यू. आई नये स्तर पर कार्य शुरू करेगी जिससे शिक्षा के स्तर में हो रही कमियों के बारे में प्रशासन को अवगत कराया जायेगा।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति के द्वारा निष्पादित मुख्त्यारआम के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कोटड़ा आवासीय योजना के आवास संख्या 203 (ई.डब्ल्यू.एस.) क्षेत्रफल 50 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री गणपतलाल पुत्र श्री घीसूलाल निवासी अजमेर से जरिये मुख्त्यारआम (अपंजीकृत दिनांक 07.06.2002) श्रीमती गोदावरी पत्नि टीकमदास निवासी अजमेर द्वारा जरिये मुख्त्यारआम के आधार पर श्रीमती प्रेरणा पत्नि श्री उम्मेदसिंह चौहान निवासी अजमेर के नाम एक विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2025 को पंजीबद्ध हो चुका है। उक्त मुख्त्यारनामा से पूर्व में लीजडीड न्यास कार्यालय से जारी हो चुकी है। अतः अब श्रीमती प्रेरणा के नाम नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
-उपायुक्त (दक्षिण) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की महाराणा प्रताप नगर योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड सं. ए-53 क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर के आवंटी/अन्तरिति श्री अनिल कुमार कपूर पुत्र श्री स्व. राज कुमार कपूर निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 30.7.24 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः कविता कपूर, अपूर्वा कपूर, कुणाल कपूर पत्नि, पुत्री एवं पुत्र अनिल कुमार कपूर निवासी अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती कविता कपूर पत्नि अनिल कुमार कपूर निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 12.11.2024 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ए.आर.सी. सिटी घूघरा के विला संख्या 02 खसरा सं. 1426, 1429 क्षेत्रफल 202.22 वर्गगज के अन्तरिति श्री दीन बन्धू मून्दडा व श्रीमती मधु मून्दडा निवासी कुन्दन नगर, अजमेर के द्वारा खरीद किया गया था जिसमें से श्री दीन बन्धू मून्दडा की मृत्यु दिनांक 5/12/2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1.पियूष मून्दडा 2. मुकुल मून्दडा पुत्रगण श्री दीन बन्धू मून्दडा द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती मधु मून्दडा पत्नि श्री दीन बन्धू मून्दडा के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 18/12/2023 को कर दिया गया था,जिसके आधार श्रीमती मधु मून्दडा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती ममता चतुर्वेदी पत्नि श्री रामानंद चतुर्वेदी को बेचान कर दिया गया। जिसके आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। -योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक-न.पा.वि./निमार्ण स्वी./2025/4659 **आम सूचना** दिनांक: 17-11-25

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण				
फाईल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
142	श्यामसुन्दर जांगिड़ पुत्र मिश्रीलाल जांगिड़	मगनीराम जांगिड़ कॉलोनी ख.सं. 113/1,115/1 भू.सं. 88	116.125 SQ.MTR	आवासीय
143	श्यामसुन्दर जांगिड़ पुत्र मिश्रीलाल जांगिड़	मगनीराम जांगिड़ कॉलोनी ख.सं. 113/1,115/1 भू.सं. 87	116.125 SQ.MTR	आवासीय

-अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक :1624 **जाहिर आम सूचना** दिनांक -17/11/25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-ग-1(ए) वैशाली नगर अजमेर क्षेत्रफल 198.668 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री योगेश एन. वैष्णव पुत्र श्री निरंजन एन. वैष्णव को आवंटित कर दिनांक 4.1.1995 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री योगेश एन. वैष्णव पुत्र श्री निरंजन एन. वैष्णव द्वारा जरिये इकरारनामा, मुख्त्यारनामा के आवास का बेचान श्रीमती विजया चौधरी पत्नि श्री मोतीराम चौधरी को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 12.03.1999 को श्रीमती विजया चौधरी पत्नि श्री मोतीराम चौधरी के पक्ष में नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती विजया चौधरी पत्नि श्री मोतीराम चौधरी द्वारा दिनांक 18.3.1999 को उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पुनः श्रीमती विजया चौधरी पत्नि श्री मोतीराम चौधरी द्वारा आवास का बेचान श्रीमती मीना मनवानी पत्नि स्व. श्री नेहरूलाल मनवानी को दिनांक 30.8.2008 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 1654 में क्रम संख्या 2008003211 पृष्ठ सं. 135 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 3610 के पृष्ठ सं. 346 से 357 पर दिनांक 30.8.2008 को चस्पा किया गया। श्रीमती मीना मनवानी पत्नि स्व. श्री नेहरूलाल मनवानी ने उक्त आवास को से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती मीना मनवानी पत्नि स्व. श्री नेहरूलाल मनवानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। - सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

NAME CHANGE

I,VIDHYA spouse of No. JC857526M,SUB(DVRSPLVEH) SUWA RAM GURJAR of 501 AD MSL Regt (MRSAM) C/O 56 APO,Amarpura,Raikaranpura,Jaipur(RAJ) 303105,have changed my name from VIDHYA to VIDYA DEVI in my Husband Army Service Records.aff-CA 838326,date- 12 NOV 2025, Before Notary Mohammad Javed Nasirabad

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/AJMER-I/TRUST/2025/380
चूंकि प्रार्थी श्री थोबी जॉर्ज 10, दादा भाई कॉलोनी अजंता के पास, अजमेर (राजस्थान) 305001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास अपना थियेटर संस्थान अजमेर10, दादा भाई कॉलोनी अजंता के पास, अजमेर (राजस्थान) 305001 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19.12.2025

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, अजमेर

मतदाता सूची पुनरीक्षण बैठक

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद उपखण्ड कार्यालय में सोमवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नसीराबाद देवीलाल यादव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नसीराबाद शहरी क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्रों को भरने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई और उनकी सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया। शहरी क्षेत्र के मतदाता इस हेल्प डेस्क के माध्यम से फॉर्म भरने से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बैठक के दौरान एईं के तहत चल रहे कार्यों-गणना प्रपत्र वितरण, डिजिटाइजेशन, मैपिंग, तथा अब्सेंटी और परमानेंटली शिफ्टेड मतदाताओं की सूची के सत्यापन- की विस्तृत समीक्षा की गई।

अब योजनाओं का लाभ सीधे खाते मे : मंत्री भागीरथ

किशनगढ़/अजमेर, (निसं)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री व अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने सोमवार को किशनगढ़ स्थित अपने आवास कार्यालय पर जनसुनवाई आयोजित कर आमजन व कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है, उन्होंने कहा कि अब किसी भी योजना का लाभ बिना बिचौलियों के सीधे पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में जमा होता है। चौधरी ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है और किसान, मजदूर, महिला और युवा सभी वर्गों के जीवन में सुधार हो रहा है।

72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का आगाज

ब्यावर (निसं)। जिले के बर ग्राम से ग्राम पंचायत परिसर में महिला सहकार सम्मेलन एवं प्रेरणा महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, बर की प्रथम आमसभा आयोजित हुई। 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का शुभारंभ जिले के बर ग्राम से हुआ। 14 नवंबर को बर ग्राम पंचायत परिसर में प्रेरणा महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, बर की प्रथम आमसभा और महिला सहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुरे गांव में शानदार जुलूस निकालने के बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन से हुई।